[43]

कमिश्नर, वाणिज्य कर का समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को प्रेषित, पत्रसं0-विधि-4(1)परिपत्र पत्रावली भाग-3(2011-12)/1068/1112071 दिनांकः 25 अक्टूबर, 2011

विषयः- वार्षिक विवरणी (रुपपत्र-26, 26ए, 26बी) दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाया जाना।

दि उत्तर प्रदेश टैक्सबार एसोसियेशन के प्रत्यावेदन दिनांक 18.10.2011 एवं सेल्स टैक्स बार एसोसियेशन, लखनऊ के प्रत्यावेदन दिनांक 17.10.2011 में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 की वार्षिक विवरणी दाखिल किए जाने की तिथि 31.10. 2011 है लेकिन अक्टूबर माह में दुर्गापूजा, दशहरा, दीपावली, अन्नकूट, चित्रगुप्तपूजा, भैयूयादूज आदि त्यौहारों के अवकाश के कारण वार्षिक विवरणी नियत तिथि 31.10.2011 तक दाखिल किया जाना संभव नही हो पा रहा है। यह अनुरोध किया गया है कि वार्षिक विवरणी को दाखिल किए जाने की समय-सीमा को बढ़ा दिया जाए।

2- जोनल अधिकारियों द्वारा भी बताया गया है कि अभी तक काफी कम वार्षिक विवरणी दाखिल हो सकी है और आगे काफी अवकाश भी है। अधिकारियों द्वारा भी समय-सीमा बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-45 के उपनियम-7 के द्वितीय परन्तुक में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2010-11 से संबंधित वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 30.11.2011 निर्धारित की जाती है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने एवं समस्त अधिवक्ता संघों/ व्यापारिक संघों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।